न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/285

नाथूलाल आत्मज श्री छीतर लाल माता पाना बाई जाति मेघवाल निवासी ग्राम उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. नन्दा पुत्र भैरूलाल जाति मेघवाल निवासी कंवरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. कल्याण पुत्र घांसीलाल जाति मेघवाल निवासी भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. मांगीलाल पुत्र छीतर लाल माता पाना बाई जाति मेघवाल निवासी ग्राम उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।
5. शांतिबाई पुत्री घांसी लाल जाति मेघवाल निवासी भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. चन्द्रकान्ता बाई पुत्री घांसी लाल जाति मेघवाल निवासी भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 16.01.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.07.2015 न्यायालय सहायक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला, कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम उकल्दा तहसील दीगोद की आराजी खसरा नम्बर 219 की 0.24 हैक्टर व खसरा नम्बर 270 की 0.24 हैक्टर कुल 02 किता की 0.48 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादी कम 3 को खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की पारित की

जावे कि प्रतिवादीगण वादी को उसके कब्जे काश्त की आराजी से किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे और न ही वादी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत कैम्प तोरण में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.07.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.07.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहरया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को अपीलान्ट की सहमति के बिना ही राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हों । प्रस्तुत वाद में अधीनस्थ न्यायालय में दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम किये जाने थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की सहमति के बिना ही उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । चूँकि नियमित वाद एक विशेष कानूनी प्रकिया है जिसमें गुणावगुण पर पक्षकारों के हक व अधिकार तय किये जाते हैं । नियमित वाद में बिना किसी विचारण के तहसीलदार दीगोद को भैरी बाई का इंतकाल दस्दीक किये जाने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के सर्वथा विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री पारित की है । जबकि वादी भैरी बाई के नाम दज्र आराजी के खातेदारी अधिकारों की मांग इस वाद में कर रहा है इसलिये वादी के पक्ष को गुणावगुण पर तय किये बिना ही पारित की गई निर्णय एवं डिक्री निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.07.2015 निरस्त फरमया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है क्योंकि वादी अपीलान्ट दिनांक 02.06.1923 की तथाकथित हस्तलिखित साधारण कागज पर लिखी वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाहता है, जिसके आधार पर वादी घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.07.2015 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर वाद स्वीकार करने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का

स्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति अथवा राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हों । प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे और न ही सहमति के आधार पर राजस्व लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते थे । प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण होना है जो गुणावगुण के आधार पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर की तय किये जा सकते हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 12.02.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 16.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा